



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 223] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 15, 2019/पौष 25, 1940
No. 223] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 15, 2019/PAUSHA 25, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2019

सं. 55/2015-2020

विषय: आईटीसी (एचएस) 2017, अनुसूची-I (आयात नीति) के एचएस कोड 29362920 के अंतर्गत निकोटिनिक एसिड और निकोटिनामाइड (नियासिनामाइड/नियासिन) की नीतिगत शर्त में संशोधन।

का.आ. 321(अ).—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा आईटीसी (एचएस) 2017, अनुसूची-1 (आयात नीति) के एचएस कोड 29362920 के अंतर्गत निकोटिनिक एसिड और निकोटिनामाइड (नियासिनामाइड/नियासिन) की नीतिगत शर्त में निम्नानुसार संशोधन करती है:—

| एक्जिम कोड | मद विवरण | मौजूदा नीति | मौजूदा नीतिगत शर्त | संशोधित नीतिगत शर्त |
|------------|---|-------------|---------------------------|---------------------|
| 29362920 | निकोटिनिक एसिड और निकोटिनामाइड (नियासिनामाइड/नियासिन) | मुक्त | नीतिगत शर्त सं० 3 के अधीन | — |

2. इस अधिसूचना का प्रभाव: अब तक निकोटिनिक एसिड और निकोटिनामाइड (नियासिनामाइड/नियासिन) का आयात स्वापक आयुक्त, ग्वालियर से मद के आयात से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने के अधीन 'मुक्त' था। निकोटिनिक एसिड और निकोटिनामाइड (नियासिनामाइड/नियासिन) के आयात हेतु इस नीतिगत शर्त को तत्काल प्रभाव से हटाया जा रहा है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/विधि-3/एम-04/पीसी-2(क)/खंड IV (ई-1877)]

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

टिप्पणी : मुख्य अधिसूचना सं. 39/2015-2020 दिनांक 3 अक्टूबर, 2018 को भारत के राजपत्र असाधारण का.आ. सं. 5105(अ) दिनांक 3 अक्टूबर, 2018 के द्वारा प्रकाशित किया गया।

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTOR GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th January, 2019

No. 55/2015-2020

Subject : Amendment in policy condition of Nicotinic Acid & Nicotinamide (Niacinamide/niacin) under HS Code 29362920 of ITC (HS) 2017, Schedule – I (Import Policy).

S.O. 321(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby amends **Policy Condition** of Nicotinic Acid & Nicotinamide (Niacinamide/niacin) under HS Code 29362920 of ITC (HS) 2017, Schedule – I (Import Policy) as under:

| Exim Code | Item Description | Existing Policy | Existing policy condition | Revised Policy condition |
|------------|--|-----------------|------------------------------------|--------------------------|
| 2936 29 20 | Nicotinic Acid & Nicotinamide (Niacinamide/niacin) | Free | Subject to Policy Condition No. 3. | - |

2. **Effect of this Notification:** Till now, import of Nicotinic Acid & Nicotinamide (Niacinamide/niacin) was 'Free' subject to No Objection Certificate (NOC) from Narcotics Commissioner, Gwalior, before import of the item. For import of Nicotinic Acid & Nicotinamide (Niacinamide/niacin), this Policy Condition is being removed with immediate effect.

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F.No. 01/89/180/Misc-3/AM-04/PC-2(A)/Vol.IV/[e-1877]

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade
& Ex-officio Addl. Secy.

Note: The principal notification No. 39/2015-2020, dated the 3rd October, 2018 was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number S.O. 5105(E), dated the 3rd October, 2018.